न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2017 (राजसमन्द आर्डर)

रतनलाल पिता नानालाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. माधवलाल पिता नानालाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. गहरी पुत्री नानालाल पत्नी भगवानलाल जी जाट, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. इन्द्रा पत्नी माधवलाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 05.06.2017 प्र॰ सं॰ 94/11

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1
3. श्री उदयलाल कुमावत अभि. रेस्पो. सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 15–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा की सीमा में प्रार्थी एवं मूलवाद के प्रतिवादी संख्या 1 से 40 के संयुक्त खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां स्थित है, जिसका विवरण अलग से संलग्न परिशिष्ट में है। प्रार्थी के पिता

नानालाल पिता लहरूलाल थे, जिनकी मृत्यु वर्ष 1991 के करीब हो गयी एवं विरासत से उक्त भूमियों का नामान्तरकरण संख्या 1560 तस्दीक किया गया, जिसके अनुसार भूमियां राजस्व रेकार्ड में उनके वारिसान के नाम अंकित हुई। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार नानालाल जी बेवा कंकू होकर उसके पुत्र रतनलाल व माधवलाल तथा पुत्री शंकरी हुई तथा नानालाल की रखैल प्यारी से गहरी हुई जो अवैध संतान है। नानालाल ने अपनी पत्नी कंकू के जीवन में ही प्यारी को रखैल रखा जिससे गहरी उत्पन्न हुई। नानालाल जी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई है, इसलिए प्यारी व गहरी का उक्त भूमियों में कोई हक व अधिकार नहीं है, वह केवल नानालाल की स्वअर्जित सम्पत्ति में ही हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन तत्कालीन पटवारी ने नानालाल की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 1590 भरा, जिसमें अवैध पुत्री व रखैल को भी वैध वारिस मानकर उनका समान हिस्सा मान लिया है, जो गलत है। नानालाल की कृषि भूमियों बेवा कंकू, पुत्रों रतनलाल व माधवलाल तथा पुत्री शंकरी में समान रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कृषि भूमियां न्यायगत होती है, जिसके अनुसार नानालाल की कृषि भूमियों में पुत्र रतनलाल व माधवलाल प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा एवं नानालाल के 1/3 हिस्से में उसके सभी वारिसान को 1/3 हिस्से में समान हक व अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात उसकी बेवा कंकू को 1/12 हिस्सा, उसकी पुत्री शंकरी को 1/12 हिस्सा तथा दोनों पुत्री रतनलाल व माधवलाल को 1/12 हिस्सा, 1/12 हिस्सा हिस्सा प्राप्त होता है। इस प्रकार रतनलाल व माधवलाल का नानालाल की जायदाद में प्रत्येक का 2/5 हिस्सा होता है। नानालाल की मृत्यु पर विरासत से खुले त्रुटि पूर्ण नामान्तरकरण के आधार पर शंकरी के नाम जो आराजियात दर्ज हुई, उसके संबंध में शंकरी ने विपक्षी संख्या 4 इन्द्रा के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर दिया, जिससे शंकरी का 1/6 हिस्सा अंकित होने से 1/6 हिस्सा इन्द्रा के नाम अंकित हो गया, जबकि शंकरी का 1/12 हिस्सा होने से इन्द्रा के नाम 1/12 हिस्सा ही अंकित होना चाहिए था। इसी प्रकार कंकू के नाम भी 1/6 हिस्सा अंकित हो गया एवं कंकू द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में 1/6 हिस्सा का हक त्याग कर दिया गया, जबकि कंकू का 1/12 हिस्सा ही था, जबकि उसके द्वारा हक त्याग 1/6 हिस्से का किया गया है। वैसे भी राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम में कृषि भूमियों के हक त्याग को मान्यता प्राप्त नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने अपने हिस्से में दर्ज कुछ कृषि भूमियां अन्य विपक्षीगण को विक्रय कर दी है, जो माधवलाल के वास्तविक हिस्से तक ही मान्य है। विपक्षी संख्या 5 से 37 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतएवं मूलवाद के निर्णय तक विपक्षी संख्या 1 से 4 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमियों का अंतरण नहीं करे तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व किसी अजनवी को भूमि में प्रवेश नहीं करावें।

विपक्षी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्यारी के रखैल होने व गहरी के अवैध संतान होने का कथन गलत है। वादग्रस्त भूमियों में नानालाल के समस्त वारिसान का समान हक व अधिकार है तथा राजस्व अभिलेखों में अंकन सही हुआ है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक के जो भी वारिसान होते हैं, उन्हीं में मृतक की सम्पत्ति न्यायगत होती है तथा नामान्तरकरण सही खुला है। शंकरी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी इन्द्रा को वसीयत कर दिया है जो सही है तथा शंकरी का 1/12 हिस्सा होना स्वीकार नहीं है। कंकू द्वारा दिनांक 21–10–2011 को जो पंजीकृत हक त्याग विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है वह सही है, प्रतिवादी कंकू का 1/12 हिस्सा होना स्वीकार नहीं है। वादी ने नाजायज लाभ उठाने के लिए गलत तथ्य अंकित किये हैं। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विपक्षी कंकू, गहरी व इन्द्रा द्वारा भी इसी प्रकार के खण्डन के जवाब प्रस्तुत किये गये।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 05–06–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की उसे प्रथम बार जानकारी दिनांक 16–11–2017 को हुई। जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का पर्याप्त एवं

उचित कारण है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उसी दिन हो गयी थी, दिनांक 16–11–2017 को जानकारी होने का कथन गलत है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अनावश्यक पेशियां लेता रहा एवं बहस नहीं की। अतएवं मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा मयाद के बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचित किये बिना एवं सुने बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय स्वयं ने अपनी आदेशिका दिनांक 05–06–2017 में लिखा है कि पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प रेलमगरा पर रखी गयी। पक्षकारान अनुपस्थित। तद्नुसार न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर वृहत निर्णय किये जाने के उद्देश्य से मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री उदयलाल कुमावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रेलमगरा में पक्षकारों की बिना उपस्थिति के तथा बिना सूचना दिये निर्णय पारित किया है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के

तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया है। विपक्षी संख्या 2 के फोत हो जाने से उसे इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–05–2017 को प्रकरण कैम्प कोर्ट रेलमगरा में रखा जाकर पक्षकारान को सम्मन जारी करने के निर्देश दिये हैं, परन्तु पक्षकारान को सूचित किये जाने बाबत् कोई नोटिस जारी किये जानी की साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय स्वयं ने अपनी आदेशिका दिनांक 05–06–2017 में पक्षकारान के अनुपस्थित होने का कथन अंकित किया है तथा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन किये बिना ही प्रकरण में सरसरी निर्णय पारित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय, स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का हम हमारे स्तर पर निर्णय करना उचित नहीं समझते हैं तथा हम अपीलान्ट की प्रथम अपील के अधिकार का हमारे स्तर पर अवसान नहीं कर सकते। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थापित विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से हम उसे प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–06–2017 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** की जाती है कि प्रकरण मं उभयपक्षों को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्तों पर विवेचन कर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–05–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर